



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रक संख्या / 828

दिनांक - 12.12.2017

विज्ञापित

सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसर में सम्बन्धित परम्परागत पाठ्यक्रमों के परास्नातक स्तर पर सम्बन्धित एम्.एड. एम्.एड.एच. एम्.एड.एच.-सी.ए. एम्.एड.एच.-सी.ए. (कृषि), एम्.एड.एच.-सी.ए. (जल साईंस) एवं एल.-एम्.एड.एच. पाठ्यक्रमों की सत्र 2017-18 की विभिन्न सेमेस्टर (दिसम्बर-2017) (केवल तृतीय, पंचम एवं सप्तम सेमेस्टरों) की मुख्य परीक्षा/सुसूची छात्र/बैक पेपर परीक्षाओं एवं स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की बी.एड.एच.-सी.ए. (कृषि), बी.एड.एच.-सी.ए. (जल विज्ञान) एवं एल.-एम्.एड.एच. की विभिन्न सेमेस्टर (केवल तृतीय, पंचम एवं सप्तम सेमेस्टरों) की मुख्य परीक्षा/सुसूची छात्र/बैक पेपर परीक्षाओं अतिरिक्त आयोजित कराई जानी प्रस्तावित है। उक्त कक्षाओं की परीक्षाओं हेतु परीक्षा कर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर www.ccsuweb.in पर ऑनलाइन कराये जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 10.12.2017 निर्धारित की। सम्बन्धित परीक्षाओं हेतु कतिपय परीक्षार्थी परीक्षा कर्म करने से वंचित रह गये हैं। उक्त छात्रों को दृष्टिगत रखते हुये माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार वंचित छात्रों को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुये परीक्षा कर्म करने हेतु निम्नलिखित विनियमानुसार पुनः विचारित की जाती है -

ऑन-लाईन परीक्षा कर्म करने की निर्धारित तिथियाँ निम्नानुसार हैं -

01.	छात्र/छात्राओं के परीक्षा कर्म वेबसाइट पर उपलब्ध होने की तिथि	12.12.2017
02.	छात्र/छात्राओं द्वारा परीक्षा कर्म वेबसाइट पर ऑन-लाईन करने की अंतिम तिथि तथा ऑन-लाईन परीक्षा शुरू करने की अंतिम तिथि	18.12.2017
03.	परिपूर्ण परीक्षा कर्म महाविद्यालय/संस्थान में जमा करने की अंतिम तिथि	18.12.2017
04.	महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा परीक्षा कर्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने की अंतिम तिथि	21.12.2017

नोट -

- समस्त छात्र/छात्राओं को अपना मूल प्रवाजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) (सुपरीम बोर्ड को छोड़कर/अन्य विश्वविद्यालय से प्राप्त) परीक्षा कर्म के साथ अतिरिक्त रूप से संलग्न किया जाना आवश्यक है। अन्यथा सम्बन्धित परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/समन्वयक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से अनुरोध है कि परीक्षा कर्म के साथ संलग्न सम्बन्धित प्रवाज के साथ मूल प्रवाजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) (सुपरीम बोर्ड को छोड़कर/अन्य विश्वविद्यालय से प्राप्त) अतिरिक्त रूप से संलग्न करते हुये अलग से सूची परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराना की सुनिश्चित करे एवं प्रवाजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) संलग्न करने वाले छात्र से निर्धारित प्रमाण पर प्रति प्रवाज की रचना सुनिश्चित करे।
- विश्वविद्यालय नियमानुसार कोई भी अथवा एक साथ दो सेमेस्टरों के परीक्षा कर्म भरे जाने हेतु अर्ज नहीं होगा।
- विश्वविद्यालय नियमानुसार यदि कोई अथवा पूर्व सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा सम्मिलित नहीं होता है तो वह तृतीय/पंचम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ज नहीं है तथा किसी भी परिस्थिति में पुनः बैक पेपर परीक्षा (Re-Back Paper) की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- समस्त छात्र/छात्राओं किसी सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षा हेतु आगामी आयोजित होने वाली सेमेस्टर परीक्षा के साथ ही सम्मिलित हो सकते हैं। एक, दो अथवा अधिक वर्ष का समयान्तराल किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।

उप कुलसचिव (परीक्षा)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

01. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ तथा समस्त विभागाध्यक्ष, समन्वयक, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि परीक्षा कर्म उपलब्ध से पूर्व अर्जित की भली-भांति जांच कर ली जाये कि जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्र आवेदन कर रहा है, उसके लिए वह अर्ज है अथवा नहीं अथवा की स्थिति में परीक्षा कर्म निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण आंतरदक्षिण सम्बन्धित छात्र एवं महाविद्यालय/संस्थान का होगा।
02. सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार प्रेषित।
03. वैकिक सहायक-प्रतिकुलपति को, प्रतिकुलपति जी के आदेशानुसार प्रेषित।
04. वैकिक सहायक-कुलसचिव को, कुलसचिव जी के आदेशानुसार प्रेषित।
05. वैकिक सहायक-वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी के सूचनाएं।
06. लेखाधिकारी को सूचनाएं प्रेषित।
07. उप कुलसचिव (गोपनीय/लेखा/सामान्य/कमेटी सेल/ अति गोपनीय विभाग)।
08. समस्त अनुभाग प्रभारी परीक्षा विभाग।
09. विश्वविद्यालय पुस्तकालय केन्द्र/सूचना केंद्र।
10. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता/प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।
11. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत कम्पनी को इस आशय के साथ कि उपरोक्त समस्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा कर्म को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत नवीन विज्ञापित के साथ नियमानुसार ही भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

उप कुलसचिव (परीक्षा)